न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 05 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू

— प्रार्थी

बनाम

पंकज पुत्र मनोहरलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी लोयल थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं

— **अप्रार्थीगण**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. लोक अभियोजक .... सरकार की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक : 10.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैर सायल पंकज पुत्र मनोहरलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी लोयल थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं एक आपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। गैर सायल पंकज अपनी अपराधिक गतिविधियो से कस्बा खेतडीनगर व खेतडीनगर के आसपास के नागरिको को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियो लगातार बढ रही है, जो ईलाका में जुआरियो के साथ मिलकर जुआ खेलता है और आसपास के माहौल को खराब कर रहा है। जिस कारण कम उम्र के लडके में भी जुआ खेलने की आदत पड रही है जिससे समाज मे यह बुराई पनपती जा रही है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज नही कराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिये तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

48
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

विपरीत असर पड रहा है। गैर सायल के विरूद्ध छः माह में 02 अभियोग दर्ज किये गये है। इसके जिले की सीमाओ मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अपने कृत्यो को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति मे उक्त गतिविधियों को लगाम रखने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है उक्त शक्स द्वारा किये गये अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा

किये गये अपराधों का विवरण निम्नानुसार है।

क0 स0	मु0न0	दिनांक	नाम थाना	धारा	चार्जशिट नं. मय दिनांक	निर्णय न्यायालय
1	156/18	12.09.18	खेतडी नगर	13 आरपीजीओ	126/18 दिनांक 18.09.18	दिनांक 23.10.18 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा 100 रूपये जुर्माना
2	207/18	14.12.18	खेतडी नगर	13 आरपीजीओ	170/18 दिनांक 15.12.18	दिनांक 18.12.18 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा 100 रूपये जुर्माना

इस प्रकार पंकज पुत्र मनोहरलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी लोयल थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना खेतड़ीनगर जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे पुलिस थाना खेतड़ीनगर जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

48
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी–1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल पंकज पुत्र मनोहरलाल के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत कुल 02 प्रकरण दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न है। गैर सायल पंकज पुत्र मनोहरलाल द्वारा 02 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति तथा युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान–माल को नुकशान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल पंकज पुत्र मनोहरलाल को खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैर सायल पंकज पुत्र मनोहरलाल जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी लोयल थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत 10 दिवस की अवधि के लिए पुलिस थाना खेतड़ीनगर की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा उक्त 10 दिवस की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनूं उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 15:45:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1 माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested